प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए ई–समाधान पोर्टल तैयार

लखनऊ : 30 नवम्बर 2016

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधान सभा निर्वाचन–2017 में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में एक ई–समाधान पोर्टल तैयार किया गया है। ई–समाधान प्रणाली नागरिकों एवं निर्वाचन कार्यालयों के बीच आसान एवं पारदर्शी तरीके से सम्वाद स्थापित करने में सहायक होगी। नागरिक किसी भी समय शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज एवं ट्रैक कर सकेंगे। इस प्रणाली से विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे जनमानस के साथ–साथ अधिकारियों को भी संदर्भों के निस्तारण एवं अनुश्रवण में सुविधा होगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री पी0के0पाण्डेय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नोडल अधिकारी होगें तथा इसमें तकनीकी सहयोग एन0आई0सी0 के तकनीकी निदेशक श्री रासिस खां द्वारा प्रदान किया जायेगा। जिलों में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी शिकायत प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी होगें।

कोई भी नागरिक निर्वाचन संबंधी अपनी शिकायत का पंजीकरण समाधान पोर्टल http://ceouttarpradesh.nic.in/samadhan पर करा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा पोर्टल खोले जाने पर वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर शिकायत पंजीकरण के बटन पर क्लिक करने पर खुलने वाले पेज पर शिकायत कर्ता अपना मोबाइल नम्बर तथा सम्मुख प्रदर्शित कैप्चा अंक सम्बंधित बॉक्स में डालकर वन टाइम पासवर्ड (ओ0टी0पी0) अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकता है। वन टाइम पासवर्ड को वेबसाइट पर अंकित करने के पश्चात शिकायत पंजीकरण फार्म खुलकर आयेगा। इस फार्म को हिन्दी (मंगल फान्ट यूनिकोड) में अथवा अंग्रेजी भाषा में कर सकतें हैं। फार्म भरने के पश्चात यदि कोई शिकायत कर्ता कोई प्रपत्र अथवा प्रार्थना पत्र भी अपनी शिकायत के साथ अपलोड करना चाहता है तो उन्हे भी pdf/jpeg फार्मेट में स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड की जाने वाली फाइल का अधिकतम साइज 500 kb हो सकता है। फाइल को अपलोड करने हेतु browse बटन पर क्लिक कर अपलोड किये जाने वाली फाइल सेलेक्ट कर

ओके करें। तत्पश्चात इस पेज के सबसे नीचे दिये गये ''सुरक्षित करें'' बटन पर क्लिक कर शिकायत को सुरक्षित कर लें।

सुरक्षित करने के पश्चात मोबाइल नम्बर पर 14 अंकों की शिकायत/संदर्भ संख्या प्राप्त होगी जिसे सुरक्षित रखें। शिकायतों के निस्तारण के संबंध में अद्यतन स्थिति जानने के लिए यह संदर्भ संख्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

शिकायत की स्थिति जानने के लिए समाधान पोर्टल खोले जाने पर वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ''शिकायत की स्थिति जाने'' बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात एक नया वेबपेज खुलेगा जिसमें शिकायत कर्ता अपनी 14 अंकों की संदर्भ संख्या को तथा मोबाइल नम्बर अथवा ई–मेल आई0डी0 व पेज पर प्रदर्शित 4 अंकों का कैप्चा कोड को संबंधित बाक्सों में डालकर 'submit' बटन पर क्लिक कर अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं अथवा प्रिन्ट कर सकते हैं।

यदि शिकायत का निस्तारण संबंधित विभाग अथवा अधिकारी द्वारा समयावधि में नहीं किया जाता है तो शिकायत कर्ता संबंधित को अपनी शिकायत के संबंध में अनुस्मारक (रिमाइंडर) भेज सकते हैं। अनुस्मारक भेजने के लिए समाधान पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर दिये गये ''अनुस्मारक भेजें'' बटन पर क्लिक करें तो एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर दिये गये बाक्स में शिकायत कर्ता अपनी शिकायत संख्या अंकित कर सर्च बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात अनुस्मारक अंकित करने का वेबपेज खुलेगा। इस पेज पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुस्मारक दर्ज करें तथा ''सुरक्षित करें'' बटन पर क्लिक कर अनुस्मारक भेज सकते हैं।

शिकायतकर्ता शिकायत के संबंध में अपना फीड बैक अथवा प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए समाधान पोर्टल खोलें तथा वेबसाइट खोलने पर वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ''आपकी प्रतिक्रिया बटन'' पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात एक नया वेबपेज खुलेगा जिसमें शिकायतकर्ता अपने निस्तारित हुये संदर्भ के समक्ष अपना फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने हेतु सर्वप्रथम संबंधित बॉक्सों में अपनी 14 अंको की शिकायत पंजीकरण संख्या पंजीकृत मोबाइल संख्या अंकित करें। इसके पश्चात स्टार रेटिंग के रूप में निस्तारण की गुणवत्ता स्तर को चुनें।